The state has initiated the process of carrying out surveys in all the planned industrial areas as per the letter no 467 dated 28th January 2016 (attached) sent to all DFOs. Based on this, a sample survey was requested at Gautambuddhnagar vide letter no 929 dated 21 June 2016. The survey results can be accessed at http://d5.64.158.173/felling/pdf/SurveyTrees.pdf

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश , लखनऊ

पत्रांक: 467/ 12-16 /2015-16 , दिनांक, लखनऊ, जनवरी 28, 2016

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तर प्रदेश ।

विषय :- Ease of Doing Business के सम्बन्ध में । महोदय,

संदर्भ- 30प्र0 शासन के पत्र सं0 2645/14-2-2015 वन अनुभाग-2 दि0 07.10.2015 एवं प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय का पत्र 533/41-1/3द्योग बन्धु/ 2015-16 दिनांक 01/12/2015 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में प्रदेश में ओद्यौगिक निवेश को बढ़ावा देने एवं Ease Of Doing Business को सरलीकृत करने के संबंध में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन नई दिल्ली द्वारा गठित टीम ने 30प्र0, वन विभाग में संचालित केन्द्रीयकृत नागरिक सेवा के अन्तर्गत आनलाइन फेलिंग परमिट का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षणोपरान्त कुछ बिन्दुओं पर टीम द्वारा आपत्ति भी की गयी, जिसमें बिन्दु संख्या 72 के क्रम में निम्न प्रकार संस्त्ति की गयी:-

S.No	Area			Recommendation										
72	Construction	Permit	То	facilitate	self-cert	ification	for	tree	NOC,	conduct	a	survey	of	
	Enablers			planned areas and create a list of plots with trees.										
	×	~ \ Y		1	0		~		>	N.	1	0 *0	-	

उक्त के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त विषयक उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप राजस्व विभाग से संपर्क कर अथवा उनकी वेबसाईट http://bhulekh.up.nic.in पर उपलब्ध अपने प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले ओद्यौगिक भूखण्डो(प्लाट)/संस्थागत भूखण्डो (Institutional plot) को सूचीबद्ध कर उनमें स्थित प्रजातिवार वृक्षों की संख्या को ज्ञात करने हेतु उक्त प्लाटो का भौतिक सत्यापन तत्काल करा कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को हार्डकापी/साफ्टकापी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक प्लाट में प्रजातिवार वृक्षों की संख्या के बारे में सूची तैयार कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना प्रस्तावित है जिसके संबंध मे अलग से दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे। उक्त प्रकरण की नियमित अंतराल पर उद्योग बन्धु द्वारा भी समीक्षा की जा रही है अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।

भवदीय,

(दिवाकर कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक(आई0टी0) उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक: 467- / समदिनांकित

प्रतिलिपि:

1 - प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित ।

522 (दिवाकर कुमार) अपर प्रमुख वन संरक्षक(आई0टी0) उ०प्र0, लखनऊ

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 929 / 12-16, लखनऊ

सेवा में,

श्री एच0वी0 गिरीश प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।

<u>विषय-</u> Ease of Doing Business के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक- 533 / 41-1 / उद्योग बन्धु / 2015-16, दिनांक- 01.12.2015, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक- 467 / 12-16, दिनांक- 28.01.2016; पत्र संख्या- 713 / 12-16, दिनांक-30.03.2016; निदेशक, डाटा प्लानिंग उद्योग बन्धु का पत्रांक- 1366 / 1313 / नालेज बैंक / 2016-17, दिनांक- 15.06.2016 एवं वन संरक्षक, प्रभारी वन उपयोग अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक- व0उ0अ0-1212 (1)/ 41-1 / उद्योग बन्धु, दिनांक- 17.06.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में पुन: अनुस्मारित कराना है कि उद्योग बन्धु द्वारा की गयी संस्तुतियों एवं दिनांक- 17.06.2016 को सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में हुयी बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आपके प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक प्लाटों की सूची (संलग्न) में से किसी एक प्लाट का चयन करके भौतिक सत्यापन कराते हुये उस प्लाट में स्थित प्रजातिवार पौधों / वृक्षों की गणना करते हुये उनकी संख्या निम्न तालिका में भरकर दिनांक- 21.06.2016 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, चूँकि यह कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी एवं प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। जिसका अनुश्रवण सीधे मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा स्वयं किया जा रहा है। अतः विषयगत उपरोक्त सूचना निम्न प्रारूप में भरकर दिनांक- 22.06.2016 तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को ई-मेल आई0डी0**арссfit-up@nic.in** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

S.No.	Name and Address	Plot No.	Plot Size	Species of trees	No. of Trees according to species in plot
1	2	3	4	5	6

भवदीय

(दिवाकर कुमार)

Emai

दिनांक 21 ,जून, 2016।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, 30प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 929 / तददिनांकित।

<u>प्रतिलिपि</u>

- वन संरक्षक, प्रभारी वन उपयोग अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, मेरठ जोन, मेरठ को इस अनुरोध से प्रेषित कि आप अपने स्तर से उक्त का निरीक्षण कराते हये उक्त सूचना दिनांक- 22.06.2016 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, 30प्र0, लखनऊ।